न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 62/2023

<u>उनवान</u>

1. कन्हैयालाल पिता परतीया जाति दर्जी, निवासी अरथुना, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा राजस्थान ।

—: अपीलान्ट।

बनाम

1. ग्राम पंचायत अरथुना, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा राजस्थान ।
2. श्री सचिव, ग्राम पंचायत अरथुना, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा राजस्थान ।
3. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. जीतमल खॉट जाति भील निवासी थालीतलाई, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा राजस्थान।

—: रेस्पोण्डेड।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 16.12.2025

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। कि अपीलान्ट कन्हैयालाल के निजी स्वामित्व की भूमि खाता संख्या 50 नया, 50 पुराना के सर्वे नम्बर 2551 रकबा 0.12 हे0, सर्वे नम्बर 2553 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2654 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2655 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2657 रकबा 0.08 हे0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.37 हे0, वाके ग्राम अरथुना, पटवार हल्का अरथुना, तहसील गढ़ी, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित को बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.12.2016 को रेस्पोण्डेड संख्या 3 श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. श्री जीतमल खॉट को विक्रय नही किया गया है। रेस्पोण्डेन्ट सं. 1 व 2 ने बिना पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 16.12.2016 के आधार पर नामांतकरण संख्या 1040, दिनांक 19.11.2019 को रेस्पोण्डेड संख्या 3 को जो स्वीकृत किया गया है, वह काबिल खारीज है। नामांतकरण संख्या 1040 में विक्रय पत्र दिनांक 16.12.2016, पुस्तक सं. 1, जल्द सं. 31, पृष्ठ सं. 13 के क्रम सं. 20–1603368, 102704 पर दर्ज के आधार पर ग्राम पंचायत की सभा में दिनांक 19.01.2019 को स्वीकृत किया गया है। जबकि दिनांक 16.12.2016 को अपीलांट् ने रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 को कोई विक्रय नही किया है। अपीलान्ट ने तहसील उपपंजीयक कार्यालय गढ़ी में उक्त विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 07.07.2023 को आवेदन किया तो यह ज्ञात हुआ कि, दिनांक 16.12.2016 को पुस्तक सं. 1, जल्द सं. 31, पृष्ठ सं. 13 के क्रम सं. 20–1603368, 102704 पर अपीलान्ट् कन्हैयालाल के द्वारा आवेदन उप पंजीयन गढ़ी में रजिस्ट्री की प्रति इस कार्यालय में इस नाम व दिनांक 16.12.2016 दस्तावेजं रेकॉर्ड पर उपलब्ध नही है, जिसकी नकल [illegible] के साथ संलग्न है। अपीलान्ट कन्हैयालाल द्वारा रेस्पोण्डेन्ट संख्या 3 श्रीमती लक्ष्मीदेवी को उपरोक्त खेत खाता संख्या 50 नया, पुराना 50 के कुल खेत 5 कुल रकबा 0.37, ग्राम अरथुना, का विक्रय ही नही किया है। उपपंजीयन गढ़ी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया कि, हमारे कार्यालय में दिनांक 16.12.2016 को पुस्तक सं. 1, जल्द सं. 31, पृष्ठ सं. 13 के क्रम सं. 20–1603368, 102704 पर दर्ज नही है, ऐसी स्थिति में नामांतकरण सं. 1040 स्वीकृत दिनांक 19.11.2019 काबिल खारीज है। उपरोक्त खेत पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा है। सरपंच, ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत ने बिना पंजीकृत दस्तावेज के नामांतकरण सं. 1040 दिनांक 19.01.2019 को खोला है उक्त नामांतकरण का ज्ञान पटवारी के यहां नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि, उपरोक्त खेत रेस्पोडेन्ट् सं. 3 के नाम हो चुके है, जिस पर पटवारी से ज्ञात होने पर नामांतकरण की नकल दिनांक 04.07.2023 को प्राप्त हुई एवं नामांतकरण की नकल लेने पर विक्रय पत्र दिनांक 16.12. 2016 की नकल लेने हेतु दिनांक 07.07.2023 को आवेदन किया। जिस पर ज्ञात हुआ कि, दिनांक 16.12.2016 का कोई विक्रय विलेख पंजीबद्ध ही नही हुआ है, इसके पूर्व अपीलान्ट को उक्त नामांतकरण का कोई ईल्म नही था तथा अपील अन्दर अवधि में लेने हेतु पृथक से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश कर नामांतकरण संख्या 1040, दिनांक 19.01.2019 व ऑनलाईन प्रविष्टि क्रम संख्या 1210 दिनांक 11.08. 2022, स्वीकृत नामांतकरण दिनांक 23.08.2022, खाता संख्या 50 नया, पुराना 50 के सर्वे नम्बर 2551 रकबा 0.12. है0, सर्वे नम्बर 2553 रकबा 0.07 है0, सर्वे नम्बर 2654 रकबा 0.07 है0, सर्वे नम्बर 2655 रकबा 0.03 है0, सर्वे नम्बर 2657 रकबा 0.08 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.37 है0, वाके ग्राम अरथुना का रेस्पोडेन्ट् संख्या 03 श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. श्री जीतमल खॉट, निवासी अरथुना के नाम निरस्त कर अपीलान्ट के नाम नामांतरण खोले जाने बाबत् अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रिस्पोण्डेड को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर रिस्पोण्डेड संख्या 03 ने जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलांट कन्हैयालाल द्वारा अपने निजी खाते के स्वामित्व की कृषि भूमि खाता संख्या 50 नया, पुराना 50 के सर्वे नम्बर 2551 रकबा 0.12. है0, सर्वे नम्बर 2553 रकबा 0.07 है0, सर्वे नम्बर 2654 रकबा 0.07 है0, सर्वे नम्बर 2655 रकबा 0.03 है0, सर्वे नम्बर 2657 रकबा 0.08 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0. 37 है0, वाके ग्राम अरथुना का बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.12.2016 को रेस्पोण्डेड संख्या 3 श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. श्री जीतमल खॉट को विक्रय नियमानुसार उपपंजीयन कार्यालय गढ़ी में उपस्थित होकर विक्रय किया है एवं विक्रय दिनांक से श्रीमती लक्ष्मीदेवी उस पर काबिज होकर काश्त कर रही है एवं अपीलांट ने फर्जी दस्तावेज पेश कर गलत आधारों पर अपील पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत दस्तावेज [illegible] 12.2016 के आधार पर नामांतकरण संख्या 1040, दिनांक 19.11.2019 को रेस्पो[illegible] संख्या 3 को जो स्वीकृत किया गया है, जो सही है जिसे कानूनन खारीज नही किया जा [illegible] अपीलांट् समय उपपंजीयक कार्यालय गढ़ी में उपस्थित होकर स्वयं ने अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के बिना किसी प्रलोभन के विक्रय मुल्य रु. 3,25,000 – रुपये नकद प्राप्त कर नियमानुसार विक्रय पत्र पंजीयन करवाया है और इसी के आधार पर [illegible] रेस्पोडेंट् सं. 3 के नाम मुटेशन खोला गया है। पंजीकृत दस्तावेज बेचाननाम दिनांक 16.12. 2016 की नकल प्राप्त कर पेश की। जिससे यह साबित होता हैं कि उपपंजीयन गढ़ी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र कि, उप पंजियक कार्यालय गढ़ी में दिनांक 16.12.2016 को पुस्तक सं. 1, जल्द सं. 31, पृष्ठ सं. 13 के क्रम सं. 20–1603368, 102704 पर दर्ज नही है यह बात एकदम गलत व झुठ है। उपरोक्त खेत पर रेस्पोडेंट् स 3 का ही कब्जा है और अभी भी मौके पर इस वर्ष काश्त की थी एवं आगामी फसल की बुवाई के लिये मौके पर तैयारी चल रही है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार कर निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

रिस्पोण्डेड संख्या 02 सचिव ग्राम पंचायत अरथूना द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि विक्रेता कन्हैयालाल पिता स्व. परथीया जाति दर्जी निवासी अरथूना और क्रेता लक्ष्मी पत्नि स्व. जीतमल खॉट निवासी थालीतलाई का विक्रय विलेख पत्र संख्या पु.सं. 1, जि.सं. 31, कृ.सं. 1603368102704 दिनांक 16.12.2016 के द्वारा क्रेता के नाम दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेज के आधारा पर ग्राम पंचायत में नामान्तरण पंजियन हेतु ग्राम सभी में दिंनाक 19.1. 2019 को पंजियन हेतु स्वीकृत किया गया। जिसके तहत् नामान्तरण संख्या 1040 दर्ज रिकार्ड होना बताया।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रिस्पोण्डेड संख्या 03 ने लिखित बहस पेश की। शेष रिस्पोण्डेड एवं अपीलांट की बहस सुनि गई। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील व संलग्न दस्तावेज तथा रिस्पोण्डेड संख्या 02, 03 की ओर प्रस्तुत जवाब व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम अरथूना की खाता संख्या 50 नयी, पुरानी 50 के सर्वे नम्बर 2551 रकबा 0.12. हे0, सर्वे नम्बर 2553 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2654 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2655 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2657 रकबा 0.08 हे0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.37 हे0 भूमि का रिस्पोण्डेड संख्या 03 के नाम दर्ज नामान्तरण संख्या 1040, उप पंजियक कार्यालय गढ़ी के दस्तावेज बेचान नामा के आधार पर दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.12..2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

श्रवण सिंह राठौड़
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

16.12.25

पत्रावली पेश हुई। बकाया उपस्थित। अपिलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील तथा रिस्पोण्डेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर प्रकरण में निर्णय पृथक से जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner